इसे वेबसाईट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250]		भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर 2025—भाद्र 18, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्र. 8590-159-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 सितम्बर, 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०२५

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२५

[दिनांक ३ सितम्बर, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ९ सितम्बर, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची १-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में,-

(१) अनुच्छेद ५ में, कॉलम (२) में, शब्द "पचास रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो सौ रुपए" स्थापित किए जाएं.

(२) अनुच्छेद ६ में,-

(एक) खण्ड (ङ) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (छ ख) में, उपखण्ड (एक) और (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(एक)	यदि संविदा मूल्य पचास लाख रुपए तक है.	एक हजार रुपए
(दो)	यदि संविदा मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक है.	दस लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए संविदा मूल्य का ०.२ प्रतिशत.".

(तीन) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(ज) यदि अन्यथा उपबंध न किया गया हो,—

(एक)	जहां मूल्य निहित है	न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक दस हजार रुपए या उसके भाग के लिए एक रुपया,

(दो) उपर्युक्त (एक) के अंतर्गत न आने वाले मामले के लिए	एक हजार रुपए.''.

(३) अनुच्छेद २४ में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(४) अनुच्छेद ३२ में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(५) अनुच्छेद ३८ के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

''(तीन) उपर्युक्त (एक) एवं (दो) के अंतर्गत न आने वाले खनन पट्टों के लिए	ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का २ प्रतिशत.''.

(६) अनुच्छेद ४१-क में,-

(एक) खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द ''पांच हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द ''दो हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द ''दो हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(चार) खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(७) अनुच्छेद ४८ में, कॉलम (१) में, स्पष्टीकरण-एक में, शब्द ''नाती'' के पश्चात्, शब्द ''तथा भाई की मृत्यु की दशा में उसकी पत्नी व बच्चे'' जोड़े जाएं.

(८) अनुच्छेद ४९ में,-

(एक) खण्ड क के उपखण्ड (क) में, कॉलम (२) में, शब्द ''दो हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड ख के उपखण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(९) अनुच्छेद ५० में,-

(एक) खण्ड (क) में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द ''दो हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड (घ) में, उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(चार) खण्ड (ङ) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(पांच) खण्ड (च) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(१०) अनुच्छेद ५३ में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(११) अनुच्छेद ६० में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(१२) अनुच्छेद ६३ में, खण्ड ख में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2025

क्र. 8590-159-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2025

THE INDIAN STAMP (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2025

[Received the assent of the Governor on the 3rd September, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th September, 2025.]

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Central Act II of 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) (hereinafter referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule I-A.

3. In Schedule I-A to the principal Act,-

(1) in article 5, in column (2), for the words "fifty rupees", the words "two hundred rupees" shall be substituted.

(2) in article 6,-

(i) in sub-clause (ii) of clause (e), in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

(ii) in clause (gb), for sub-clause (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely,-

"(i) If contract value is upto fifty lakh rupees.	One thousand rupees
(ii) If contract value exceeds fifty lakh rupees.	0.2 percent of contract value subject to a maximum of rupees ten lakh.".

(iii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-

"(h) If not otherwise provided for,-

(i) Where value is involved.	Rupee one for every ten thousand rupees or part thereof of the value, subject to a minimum of one thousand rupees.
(ii) For the cases not covered by (i) above.	One thousand rupees.".

(3) in article 24, in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "five housand rupees" shall be substituted.

(4) in article 32, in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

(5) after sub-clause (ii) of clause (b) of article 38, the following sub-clause shall be added, namely:-

"(iii)	for mining leases not covered by (i) and (ii) above.	2% of the whole amount payable or deliverable under such lease.".

(6) in article 41-A,-

(i) in sub-clause (i) of clause (a), in column (2), for the words "five thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

(ii) in sub-clause (ii) of clause (a), in column (2), for the words "two thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

(iii) in sub-clause (i) of clause (b), in column (2), for the words "two thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

(iv) in sub-clause (ii) of clause (b), in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "two thousand rupees" shall be substituted.

(7) in article 48, in column (1), in explanation-1, after the word "grandson", the words "and in the event of death of brother, his wife and children" shall be added.

(8) in article 49,-

(i) in sub-clause (a) of clause A, in column (2), for the words "two thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

(ii) in sub-clause (b) of clause B, in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

(9) in article 50,-

(i) in clause (a), in column (2), for the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" shall be substituted.

(ii) in clause (b), in column (2), for the words "two thousand rupees" the words "five thousand rupees" shall be substituted.

(iii) in clause (d), in sub-clause (i), in column (2) for the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" shall be substituted.

(iv) in clause (e), in column (2) for the words "one hundred rupees" the words "two thousand rupees" shall be substituted.

(v) in clause (f), in column (2), for the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" shall be substituted.

(10) in article 53, in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

(11) in article 60, in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "two thousand rupees" shall be substituted.

(12) in article 63, in clause B, in column (2), for the words "One thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.